राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/ न्याय/2018/1493

दिनांकः 16.03.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /17/6445–46 दिनांक 27.02.18 से पुलिस थाना जावर के अभियोग सं0 04/18 धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त महेन्द्र पुत्र मुरलीलाल जाति मीणा उम्र 23 साल निवासी फोकरडा थाना अकलेरा जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.2018 को श्री रामस्वरूप मीणा थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना होकर वास्ते नाकाबंदी चैकिग गुण्डा बदमाशान ईलाका गश्त हेतु रवाना होकर परवन नदी की पुलिया पर नाकाबंदी की जा रही थी कि एक व्यक्ति जावरी की तरफ से आता नजर आया जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर वापस मुडकर तेज गति से जाने लगा। जिसकी हमराही जाप्ता की मदद से राउण्ड अप कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र पुत्र मुरलीलाल जाति मीणा उम्र 23 साल निवासी फोकरडा थाना अकलेरा जिला झालावाड बताया । जिसकी तलाशी लिये जाने पर पहनी हुई पेंट की कमर की बायी तरफ 6 राउण्ड रिवाल्वर मिली । जिसका अनुज्ञापत्र उसके पास नही पाया गया। मौके पर जप्ती कार्यवाही कर वापसी थाने पर प्रकरण सं. 04/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । जप्तशुदा 6 राउण्ड रिवाल्वर का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो उक्त देशी रिवाल्वर 7.65 एमएम लोहे का बना हुआ, 6 चैमबर वाला है। पुराना व जंग लगा हुआ है। रिवाल्वर मे हैमर व पिन लगी हुई नही है। इसा कारण से यह रिवाल्वर फायर करने योग्य नही है मगर बाद मरम्मत के व पार्ट की बदली के उक्त रिवाल्वर फायर करने योग्य हो सकता है। उक्त रिवाल्वर फायर आर्म्स की जद मे आना बताया गया। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री घनश्याम एएसआई थाना जावर व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटे को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त महेन्द्र पुत्र मुरलीलाल जाति मीणा उम्र 23 साल निवासी फोकरडा थाना अकलेरा जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालवाड